रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27092023-249016
CG-DL-W-27092023-249016

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2023, शनिवार/ भाद्र 26—आश्विन 1, 1945
No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2023, SATURDAY/BHADRA 26—ASVINA 1, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

---

**गृह मंत्रालय**

**(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)**

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

**सा.का.नि. 120.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम 1980 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय वरिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण **और** वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.- कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ,जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| **पद का नाम** | **पद की संख्या** | **वर्गीकरण** | **वेतन मेट्रिक्स में स्तर** | **चयन या अचयन पद** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वरिष्ठ अनुवादक | 06* (2023)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय । | स्तर-7 (44900-142400/-रु) । | लागू नहीं। |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।** | **क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।** | **भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।** |
|---|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| तीस वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशो के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। ) | **अनिवार्य** योग्यता:<br>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री; | लागू नहीं । | दो वर्ष सीधी भर्ती के लिए। | प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसमें असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **टिप्पण :** आयु सीमा को अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। | या<br><br>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री;<br><br>या<br><br>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री के साथ हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में;<br><br>या<br><br>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री के साथ अंग्रेजी माध्यम और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या माध्यम के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में;<br><br>या<br><br>हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री के साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में;<br><br>तथा<br><br>हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के उपक्रम सहित राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का तीन साल का अनुभव।<br><br>**नोट:** सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में दर्ज कर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शैक्षणिक योग्यता में रियायत होगी। | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **नोट:** अनुभव सम्बन्धी अर्हता कारणों से जो लेखबद्ध किये जाये कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना नहीं है। | | | |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| प्रतिनियुक्ति / आमेलन:<br>केंद्रीय / राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी:-<br>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या<br>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6(35400-112400 रु.) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।<br>(ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक अहर्ताएं और अनुभव रखने वाला।<br>**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार के या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें शामिल हैं:-<br>(1.) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ;<br>(2.) उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य ;<br>(3.) सहायक निदेशक(प्रशासन), न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य । | आवश्यक नहीं । |

[फा. सं. डीएफएसएस/38/05/2014]

श्याम सुंदर लाल, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### (Directorate of Forensic Science Services)

New Delhi, the 10th August, 2023

**G.S.R. 120.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Hindi Translator) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translator in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Senior Translator (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**. - The number of post, its classification and the pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post .** | **Classification.** | **Level in the pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Senior Translator. | 06* (2023)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group, 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Pay level 7<br>(Rs. 44900-142400/-) in pay matrix. | Not Applicable. |

| **Age limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees** | **Period of probation, if any .** |
|---|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| Thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions issue by the Central Government).<br>Note: The crucial date for determining the age-limit | **<u>Essential Qualification:</u>**<br>Masters degree of a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;<br>OR | Not applicable. | Two years for direct recruits. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | Masters degree of a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective<br>subject or as the medium of examination at the degree level;<br>OR<br>Masters degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;<br>OR<br>Masters degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;<br>OR<br>Masters degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;<br>AND<br>Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa<br>or three years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Public Sector Undertaking.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | |

| **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.** | **In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.** |
|---|---|
| **(10)** | **(11)** |
| By deputation/absorption, failing which by direct recruitment. | Deputation/Absorption:<br><br>Officers from the Central/State Governments/Union territories:-<br><br>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or<br><br>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay level 6 (Rs. 35400-112400) of the Pay Matrix.<br><br>(b) possessing the essential qualifications and experience as laid down for direct recruits under Column (7).<br><br>**Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br><br>**Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation ) consisting of:-<br><br>1. Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services – Chairman;<br><br>2. Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services – Member;<br><br>3. Assistant Director (Administration), Directorate of Forensic Science Services - Member. | Not Necessary |

[F. No. DFSS/38/05/2014]

SHYAM SUNDER LAL, Under Secy.

---

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

**सा.का.नि. 121.—**केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।